(12) 8

अति-आवश्यक

13

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 78§।§अनु0प्रथम/ए/2002/डी-7359 दिनांक: 21 अक्टूबर, 2002

:: परिपत्र संख्या 12/2002 ::

राज्य में उत्पन्न गंभीर अकाल की स्थिति से निपटने एवं आम जनता को राहत दिलवाने हेतु जिला स्तर पर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं, इस प्राकृतिक आपदा से राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का अकालग्रस्त एरियों में चल रहे राहत कार्यों को सम्पादित करवाने में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका रहती है ।

चूँकि जिला स्तर पर अकाल राहत कार्यों का केन्द्र बिन्दु जिला कलेक्टर कार्यालय है एवं कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है कि राहत कार्य पर पदस्थापित अधिकारीगण जिला कलेक्टर को बिना सूचित किये मुख्यालय छोड़ देते हैं । ऐसी स्थिति में अकाल की गंभीर स्थिति से निपटने में जिला प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । राज्य सरकार ने इस विषय में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसकी प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

अत: समस्त अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जिला कलेक्टर व उच्च अधिकारीगण को सूचित किये बगैर मुख्यालय नहीं छोड़े साथ ही आपके अधीनस्थ अधिकारियों को भी इस निमित निर्देश प्रदान करें । अगर फिर भी किसी अधिकारी के विरूद्ध मुख्यालय छोड़ने की शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोन- §समस्त§ ।
3- अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त -§समस्त§ ।
4- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड - §समस्त§
5- वरि0निजी सहा0मु0अ0/पथ/रा. उ. मा/अनु. प्रथम/ए/बी/ एंव सी ।

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।